न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 14 / 2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
रामकिशोर मुण्डेल पुत्र रामबगस मुण्डेल जाति जाट निवासी मुण्डवा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		1तहसीलदार मुण्डवा। 2मोहनी पत्नी रामप्रसाद 3रामकिशोर पुत्र रामप्रसाद जातियान खाती निवासीगण मुण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दन सिंह आचीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. श्री देवेन्द्र राज कल्ला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 23.12.19

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा ग्राम मुण्डवा के नामान्तरकरण सं. 3393 निर्णय दिनांक 29.06.18 से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.08.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 13.03.2019 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थीगण मोहनी पत्नी रामप्रसाद खाती तथा रामकिशोर पुत्र रामप्रसाद खाती निवासीगण मुण्डवा ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते पक्षकार बनने अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया। जिसका अपीलांट ने जवाब दिनांक 02.07.19 को प्रस्तुत किया। दिनांक 17.07.19 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर निर्णीत करते हुए प्रार्थीगण मोहनी व रामकिशोर को बतौर पक्षकार रेकर्ड पर लिया गया। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 3393 दिनांक 29.06.18 की फोटोप्रति, एफआईआर नं. 39 / 16 की फोटोप्रति, एफआईआर नं. 99 / 16 की फोटोप्रति, सहायक कलक्टर (एसडीओ) नागौर के प्रकरण रामकिशोर बनाम सरकार के फर्द अहकाम दिनांक 04.06.19 से 19.07.19 की फोटोप्रति, उपखण्ड अधिकारी नागौर के पत्र दिनांक 22.07.19 की फोटोप्रति, उपखण्ड अधिकारी नागौर के आदेश दिनांक 22.12.17 की फोटोप्रति, तहसीलदार मुण्डवा के पत्र दिनांक 29.01.18 की फोटोप्रति, तहसीलदार मुण्डवा को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, उपखण्ड अधिकारी नागौर के पत्र दिनांक 11.06.18 की फोटोप्रति, जिला कलक्टर नागौर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, नक्शा ट्रेस किश्तवार की फोटोप्रति, खसरा पत्रक की फोटोप्रति, उपखण्ड अधिकारी नागौर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, जिला कलक्टर नागौर के पत्र दिनांक 27.06.18 की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति, जिला कलक्टर (भू.अ.) नागौर के पत्र दिनांक 07.08.19 की फोटोप्रति, तहसीलदार मुण्डवा के पत्र दिनांक 06.08.19 की फोटोप्रति, तहसीलदार मुण्डवा को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, जिला कलक्टर नागौर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, आवेदन दिनांक 22.07.19 की फोटोप्रति, आदेश दिनांक 11.06.18 की फोटोप्रति तथा रेस्पोडेन्ट रामकिशोर द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के प्रकरण सं. 138 / 19 फर्द अहकाम दिनांक 05.09.19 से 14.10.19 तक की फोटोप्रति तथा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने मियाद के बिंदु पर बहस शुरू करते हुए बताया कि उपखण्ड अधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 22.12.18 की पालना मे अपीलांट द्वारा घोषित रास्ता की मुआवजा भूमि की राशि दिनांक 26.12.17 को जमा कर दी गई, जिससे मौके पर रास्ता कायम करने के उपरांत ही नामान्तरकरण कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना था एवं तहसीलदार मुण्डवा द्वारा मार्गदर्शन चाहा पत्र दिनांक 29.01.18 के अनुसार आदेशित रास्ता खुलवाने का मौके की स्थिति आई के अनुसार आदेश दिनांक 11.06.18 के अनुसार किया जाना था मगर रेस्पोडेन्ट ने कोई कार्यवाही नही कर दिनांक 29.06.18 को

अपर कलक्टर, नागौर

म्यूटेशन 3393 ग्राम मुण्डवा का स्वीकृत पीछे की तारीख मे श्रीमान जिला कलक्टर नागौर के द्वारा रास्ता खोलने की कार्यवाही करने पर बाला बाला ही किया गया है जिससे अपीलांट को म्यूटेशन की जानकारी नही रही। अपीलांट ने दिनांक 6.8.18 को नकल का आवेदन देने पर नकल दिनांक 8.8.18 को प्राप्त होने पर जानकारी से यह अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की गई। मौके पर रास्ता खुलवाने की कार्यवाही आज तक भी नही हुई। इसलिये देरिना को माफ किया जाना न्याय संगत है।

वकील रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 ने अपीलांट के मियाद प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए बताया कि उपखण्ड अधिकारी नागौर के आदेश दिनांक 22.12.17 की पालना मे दिनांक 29.06.18 को नामान्तरकरण भरा गया, वह सही था व है तथा इसका ज्ञान अपीलांट रामकिशोर मुण्डेल को था। अपीलांट को यह कथन सर्वथा असत्य है कि म्यूटेशन सं. 3393 ग्राम मुण्डवा पीछे की तारीख मे खोला जाकर स्वीकृत किया हो। म्यूटेशन की जानकारी अपीलांट रामकिशोर मुण्डेल एडवोकेट को प्रारंभ से ही थी व है। इस मुकदमे मे वह स्वयं ही पक्षकार है तथा पूर्ण तत्परता से मुकदमा कन्टेस्ट कर रहे है। अपीलांट का यह कथन असत्य है कि अपीलांट को म्यूटेशन जैर अपील की जानकारी प्रमाणित प्रति मिलने पर सर्वप्रथम दिनांक 8.8.18 को हुई थी। अपीलांट ने अपील देरी से प्रस्तुत करने के जो कारण बतलाये है वे झूठे व अपर्याप्त है। अपीलांट का उक्त आवेदन निरस्तनीय है। चूंकि अपीलांट द्वारा देरी का बताया गया कारण उचित प्रतीत होता है। अतः मामले मे नरम रूख अपनाते हुए मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय के सामान्य सिद्वान्तो की अवहेलना कर नामान्तरकरण स्वीकृत दिनांक 29.06.17 करने मे विधिक एवं वाक्याति भूल की है, जिससे म्यूटेशन निरस्तनीय है।

{2}(II)–रेस्पोडेन्ट ने नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2018/110 दिनांक 29.01.18 के संबंध मे मार्गदर्शन चाहा जिसके आदेश उपखण्ड अधिकारी नागौर के पत्र क्रमांक कोर्ट / 2018 / 300 दिनांक 11.06.18 के बारे मे पालना सुनिश्चित किये बिना तथा ग्राम मुण्डवा के खसरा नं. 1522/2230 की पश्चिमी माठ पर प्रस्तावित रास्ता मौके की स्थिति आई के अनुसार किये बिना, रास्ता खुलवाने की कार्यवाही के बिना म्यूटेशन स्वीकृत करने मे विधिक भूल व आदेश की अवहेलना कर भारी त्रुटि की है, जिससे म्यूटेशन निरस्त किया जाकर पुनः पत्रावली रिमाण्ड किया जाकर रास्ता कायम कर फिर रेकर्ड मे अमल दरामद का आदेश दिया जाना विधि संगत है।

{2}(III)–नामान्तरकरण सं. 3393 ग्राम मुण्डवा के अमल दरामद करते समय मौके पर पटवारी हल्का गया नही तथा मौके पर रास्ता का माप व खसरा नं. 1522/2230 के उत्तरी व दक्षिणी सींव का माप कितने गटटा बाद रास्ता कायम किया गया अथवा किस कटाणी रास्ता से जोडा जाकर अपीलांट के खेतो की स्थिति भी नही दर्शायी तथा म्यूटेशन के पीछे नक्शा ही मुख्य आधार को सही स्थिति नही दर्शाने से म्यूटेशन अस्पष्ट व अपुष्ट होने तथा मौके पर रास्ता कायम नही करने से विधिसम्मत म्यूटेशन नही होने से निरस्त करते हुए पत्रावली रिमाण्ड की जाना न्याय संगत है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.06.18 को कोई भी म्यूटेशन सं. 3393 मुण्डवा का नही भरा गया था, क्योकि उससे पूर्व रेस्पोडेन्ट ने उपखण्ड अधिकारी नागौर से पत्र दिनांक 29.01.18 को जरिये मार्गदर्शन रास्ता की कार्यवाही बाबत चाहा गया। फिर आदेश दिनांक 11.06.18 की पालना की जाती तो मौके पर रास्ता खुलवाने की कार्यवाही कर अमल दरामद किया जाना था। जिससे भी जाहिर है कि रेस्पोडेन्ट ने लापरवाही से पीछे की तारीख मे म्यूटेशन स्वीकृत किया है इसलिये भी म्यूटेशन सं. 3393 दिनांक 29.06.18 का स्वीकृत को निरस्त कर पत्रावली रिमाण्ड किया जाना न्याय संगत है तथा अपने कथन के समर्थन मे आरबीजे 2002(9) पेज 108, आरबीजे 2000(7) पेज 476, सीसीसी 2014(2) पेज 856 नजीरे प्रस्तुत की गई है।

{3}–वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया गया कि–

{3}(I)–न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 46/16 रामकिशोर मुण्डेल बनाम मोहनी, रामकिशोर खाती वगैरा अधीन धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे पारित आदेश दिनांक 22.12.17 की पालना मे तहसीलदार मुण्डवा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं. 3393 दिनांक 29.6.18 के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त उपखण्ड अधिकारी के आदेश के विरूद्व रेस्पोडेन्ट मोहनी वगैरा ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर मे अपील सं. 138/19 मोहनी बनाम रामकिशोर प्रस्तुत कर रखी है। जो वर्तमान मे विचाराधीन है। न्यायालय आदेश की पालना मे भरे गये नामान्तरकरण को इस न्यायालय मे

अपर कलक्टर, नागौर

चेलेन्ज नही किया जा सकता है। यदि अपीलांट को कोई पीडा है तो मूल न्यायालय मे ही कार्यवाही कर सकता है।

{3}(II)–उपखण्ड अधिकारी नागौर के आदेश दिनांक 22.12.17 व मौके पर पालना मौका पर्चा दिनांक 29.12.17 जिसमे मौके पर नाप व सीमांकन कर मुण्डवा के खसरा नं. 1522/2280 व खसरा नं. 1500 की सींव के सहारे 20 फुट चौडा रास्ता जेसीबी की सहायता से मौके पर अपीलांट रामकिशोर मुण्डेल व रेस्पोडेन्ट रामकिशोर खाती व अन्य के समक्ष खुलवाकर तेयार की गई है, की पालना मे उसी के अनुसार नामान्तरकरण भरा गया है। ऐसी स्थिति मे न्यायालय आदेश से भरे गये नामान्तरकरण को इस न्यायालय द्वारा निरस्त नही करवाया जा सकता है।

{4}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मौजा मुण्डवा के नामान्तरकरण सं. 3393 दिनांक 29.6.18 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी नागौर के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 46/2016 रामकिशोर बनाम मोहनी व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 22.12.17 की पालना मे भरा जाना प्रकट होता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर के आदेश दिनांक 22.12.17 को लेकर न्यायालय राजस्व प्राधिकारी नागौर मे प्रकरण सं. 138/19 मोहनी बनाम रामकिशोर विचाराधीन है। जिसे लेकर दोनो पक्षकारो मे कोई विरोधाभासी तथ्य भी नही है। नामान्तरकरण जैर अपील न्यायिक आदेश की अनुपालना मे भरा गया है। जो माफिक न्यायिक आदेश के अनुसार ही होने से इसमे कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट की अपील ठोस आधारो पर प्रतीत नही होती है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर